पलायन
जलवायु परिवर्तन
और महिलाएं

IWWAGE
Institute for What Works to Advance Gender Equality

LEAD LEVERAGING EVIDENCE FOR ACCESS AND DEVELOPMENT
KREA UNIVERSITY

POLICY & DEVELOPMENT ADVISORY GROUP
Facilitating people-centric public policy

आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई.

इंस्टिट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक़्वालिटी (IWWAGE) की स्थापना 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं की कम आर्थिक भागीदारी के कारणों का पता लगाना और साक्ष्य जुटाना था ताकि जेंडर से जुड़ी नीतियों और योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए समाधान ढूंढा जा सके।

आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई., क्रिया यूनिवर्सिटी में लीड की एक पहल है। यह एक अनुसंधान केंद्र है जो कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह वित्तीय प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (आई.एफ.एम.आर) का हिस्सा है, जो एक गैर-लाभकारी संस्था है और क्रिया यूनिवर्सिटी की प्रायोजक संस्था भी है।

पी.डी.ए.जी.

पॉलिसी एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी ग्रुप (PDAG Consulting LLP) नई दिल्ली स्थित एक सामाजिक प्रभाव सलाहकार संगठन है। अपनी स्थापना के बाद से, पी.डी.ए.जी. पूरे भारत में शासन, पलायन, जलवायु परिवर्तन एवं स्थिरता, और डिजिटल भविष्य में साक्ष्य-आधारित नीति अनुसंधान और कार्यक्रम में काम कर रहा है। यह नीति निर्माताओं, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संगठनों, बहुपक्षीय निकायों और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

श्रृंखला तकनीकी लीड: सोना मित्रा (आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई.), अरिंदम बनर्जी (पी.डी.ए.जी.)

लेखक: दिव्या सिंह (आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई.), ऐमन अख्तर (पी.डी.ए.जी.)

समीक्षा: राधा चेलप्पा (आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई.), भार्गवी घोष (पी.डी.ए.जी.)

श्रृंखला की प्रस्तावना

जेंडर, जलवायु परिवर्तन और देखभाल: एक नीतिगत ज़रूरत

जलवायु परिवर्तन भारत में लोगों की ज़िंदगी और रोज़गार को बदल रहा है, और इसका असर पुरुषों और महिलाओं पर अलग-अलग पड़ता है। खासकर गरीब और हाशिए पर रहने वाली महिलाएँ जलवायु के कारण होने वाले पलायन, रोज़गार के नुकसान और चरम मौसम की घटनाओं से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ये मुश्किलें पहले से मौजूद सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को और बढ़ा देती हैं, जिससे मिलकर काम करने और समाधान ढूंढ़ने की ज़रूरत स्पष्ट उजागर होती है।

जलवायु परिवर्तन का महिलाओं के देखभाल से जुड़े काम पर गहरा असर पड़ता है। इससे महिलाएँ और ज़्यादा हाशिए पर चली जाती हैं, उनके सामने नई मुश्किलें खड़ी होती हैं, और उन्हें बिना मेहनताना के ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे-जैसे वैज्ञानिक दुनिया भर में जलवायु आपदाओं के बढ़ने की बात कह रहे हैं, वैसे-वैसे देखभाल जैसे ज़रूरी कामों की माँग भी बढ़ रही है – और ये ज़्यादातर महिलाएँ ही करती हैं। जब जलवायु परिवर्तन के कारण लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर होते हैं, तो ऐसे कठिन हालात में भी महिलाओं की भूमिका देखभाल के काम को सँभालने और उसे आगे बढ़ाने में बहुत ज़रूरी होती है।

जेंडर और जलवायु परिवर्तन के इस व्यापक संदर्भ में, देखभाल से जुड़ी अर्थव्यवस्था एक ज़रूरी नजरिए के रूप में उभरती है, जिसे हमें समझना और नीति में शामिल करना चाहिए। देखभाल का काम – चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक – घरों और समुदायों को जलवायु संकट से निपटने और उसका सामना करने में अहम भूमिका निभाता है। फिर भी, जलवायु से जुड़ी नीतियों में इसे उचित रूप से मान्यता या महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि देखभाल और जलवायु कैसे आपस में जुड़े हैं – एक ओर जलवायु परिवर्तन का देखभाल की ज़िम्मेदारियों पर क्या असर पड़ता है और दूसरी ओर, संकटों से उबरने और उसके अनुरूप ढलने में देखभाल प्रणालियाँ कैसी मदद कर सकती हैं।

जलवायु परिवर्तन में दो मुख्य प्रक्रियाएं शामिल हैं: जलवायु जोखिम किस प्रकार देखभाल कार्य को प्रभावित करते हैं, तथा देखभाल का तरीका किस प्रकार जलवायु प्रभावों और परिणामों को प्रभावित करता है। ये दोनों बातें इस ओर इशारा करती हैं कि जलवायु नीति में देखभाल को शामिल करना और देखभाल से जुड़े फैसलों में जलवायु को ध्यान में रखना अब बेहद ज़रूरी हो गया है।

जलवायु नीतियों में देखभाल का नज़रिया अपनाना चाहिए – यानी हम पर्यावरण के साथ अपने रिश्तों में देखभाल को महत्व दें, महिलाओं द्वारा बिना मेहनताना किए गए काम से पर्यावरण को जो फायदा होता है, उसे पहचाना जाए। साथ ही, जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए संसाधनों का बराबरी से बंटवारा हो और फैसले सभी की भागीदारी से लिए जाएँ। यही किसी प्रभावी और न्यायपूर्ण नीति का आधार होना चाहिए।

यह श्रृंखला – जिसे आईवेज और पीडीएजी ने मिलकर तैयार किया है – का उद्देश्य जलवायु और देखभाल के आपसी रिश्ते को गहराई से समझना है। इसमें यह देखा जाएगा कि देखभाल का काम जलवायु से जुड़ी चुनौतियों, रोज़गार में बदलाव और हालात के अनुसार ढलने की रणनीतियों को कैसे प्रभावित करता है और खुद उनसे कैसे प्रभावित होता है। इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि इन सबका असर महिलाओं और पुरुषों पर अलग-अलग कैसे पड़ता है।

इसी तरह, महिलाओं को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाज़ार और समाज से बेहतर जुड़ने में मदद देने के लिए देखभाल से जुड़ी नीतियों का एक समग्र और समावेशी नज़रिया बनाना ज़रूरी है। ऐसे ढांचे में जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखना चाहिए – जैसे कि पर्यावरण की देखभाल में महिलाओं की भूमिका को पहचानना और जलवायु संकट से जुड़ी महिलाओं की ज़रूरतों को समझना। इसके साथ ही देखभाल से जुड़े बुनियादी ढांचे में लंबी अवधि का स्थायी निवेश करना भी ज़रूरी है। इससे देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी, नई नौकरियां पैदा होंगी, और दूर-दराज़ इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य वंचित समूहों को भी सहारा मिलेगा।

हालाँकि इस श्रृंखला में देखभाल को मुख्य विषय बनाया गया है, लेकिन यह आईवेज और पीडीएजी की साझा जानकारी पहल का हिस्सा है। इसमें समावेशी कार्य, पलायन, शासन, ऊर्जा परिवर्तन और महिलाओं के श्रम के भविष्य जैसे अहम मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

भारत में जलवायु से जुड़ी आपदाएँ अब पहले से ज़्यादा बार हो रही हैं। इसका असर गाँवों और शहरों – दोनों जगहों पर देखा जा रहा है। लोग काम और सुरक्षा की तलाश में जगह-जगह जा रहे हैं, जिससे विशेषकर गरीब और कमजोर वर्गों का जीवन और रोज़गार प्रभावित हो रहा है। ऐसे हालात में महिलाओं की भूमिका बढ़ गई है – वे देखभाल के काम को नए तरीक़े से संभाल रही हैं। हालाँकि जलवायु आपदाओं के वक्त कुछ तात्कालिक उपाय किए जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक काम आने वाले समाधान कम हैं – और उनमें देखभाल से जुड़ा पक्ष लगभग अनुपस्थित रहता है।

यह श्रृंखला जलवायु परिवर्तन और देखभाल से जुड़े काम के बीच के आपसी रिश्तों को सामने लाएगी – विशेषकर तब, जब ये जबरन पलायन, अस्थिर रोज़गार और संकट से निपटने की रणनीतियों से जुड़े हों। यह न सिर्फ़ सोचने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा देगी, बल्कि ऐसी नीतियों के सुझाव भी देगी जो देखभाल के मुद्दे को जलवायु चर्चा के केंद्र में लाएँ। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े जेंडर आधारित पहलू नज़रअंदाज़ न हों, बल्कि उन्हें पूरी तरह से शामिल किया जाए।

यह श्रृंखला तकनीकी जानकारी और नीतियों से जुड़े छोटे-छोटे दस्तावेज़ों के ज़रिए यह दिखाने की कोशिश करेगी कि जलवायु परिवर्तन का असर कैसे जबरन पलायन जैसी स्थितियों के कारण देखभाल के काम के संगठन पर पड़ता है। यह सिर्फ़ दुनिया के अमीर देशों की कहानियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों को एक नए नज़रिए से सामने लाएगा – खासकर वैश्विक दक्षिण यानी भारत जैसे देशों में रहने वाले सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों की समस्याओं को उजागर करेगा। इस तरह, यह श्रृंखला इन ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच बनाएगी और पहले से मौजूद जानकारी और सबूतों को आपस में जोड़ेगी।

हमें उम्मीद है कि इस पहल के ज़रिए हम चल रही चर्चा में एक ठोस और सार्थक योगदान दे सकेंगे।

सोना मित्रा
नीति और अनुसंधान निदेशक
(आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई.)

अरिंदम बनर्जी
सह-संस्थापक और भागीदार
(पी.डी.ए.जी.)

आभार

टीम उन सभी व्यक्तियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने इस नीति-विवरण को तैयार करने में हमारा सहयोग किया। हम विशेष रुप से राधा चेल्लप्पा (कार्यकारी निदेशक, आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई.), सोना मित्रा (निदेशक, अनुसंधान एवं नीति, आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई.) और अरिंदम बनर्जी (सह-संस्थापक और साझेदार, पी.डी.ए.जी.) के आभारी हैं जिन्होंने इस पूरी यात्रा में हमें निरंतर समर्थन, प्रोत्साहन और धैर्य प्रदान किया।

टीम अदिति व्यास (सह-निदेशक, अनुसंधान एवं नीति, आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई.), श्रुति कुट्टी (वरिष्ठ नीति प्रबंधक, आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई.), और भार्गबी घोष (वरिष्ठ सलाहकार, पी.डी.ए.जी.) के प्रति उनके समर्पित योगदान और विवरण को आकार देने में निरंतर प्रयासों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

साथ ही संपादकीय और डिजाइन टीम में सुश्री रचिता मलिक (प्रमुख, संचार एवं बाह्य सहभागिता, आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई.), श्री आदित्य मालवीय (कॉपी एडिटर), श्री तरुण कुमार पाठक (डिज़ाइनर) और संजय भारद्वाज (अनुवादक) को उनके सहयोग के लिए भी विशेष रुप से धन्यवाद देना चाहती है |

©कॉपीराइट आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई. - लीड एट क्रिया यूनिवर्सिटी (आई.एफ.एम.आर), 2025
यह दस्तावेज़ एक मूल्य आधारित प्रकाशन नहीं है और इसका उपयोग या उद्धरण, लेखकों और स्रोत को उचित श्रेय और उनकी स्वीकृति के साथ किया जा सकता है

विषय-सूची

जलवायु परिवर्तन पलायन और महिलाएं	01
प्रस्तावना	02
जलवायु के कारण होने वाले पलायन का पुरुष और महिलाओं पर पड़ने वाला प्रभाव	03
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पलायन और श्रम संबंधी नीतिगत ढांचे	06
जलवायु-जनित पलायन पर डेटा का अभाव	07
जलवायु-जनित पलायन के महिला और पुरुषों पर पड़ने वाले प्रभावों के उदाहरण	08
नीतिगत सिफारिशें	10
संदर्भ	12

पलायन, जलवायु परिवर्तन और महिलाएं

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला पलायन भारत में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है, जो बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, समुद्र-स्तर के बढ़ने और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण हो रहा है (भारतीय विश्व मामलों की परिषद, 2022)। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (आईडीएमसी), भारत के अनुसार, 2020 में भारत के लगभग 3.86 मिलियन लोगों को मौसम में तीव्र और अप्रत्याशित बदलाव के कारण पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।[1] क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क साउथ एशिया (कांस) का अनुमान है कि जलवायु आपदाओं के कारण अकेले भारत में लगभग 45 मिलियन लोग 2050 तक पलायन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।[2] हालाँकि पलायन के आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर तो काफी चर्चा हुई है, किन्तु इसके जेंडर पहलुओं पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। महिलाएं जलवायु के कारण होने वाले पलायन को पुरुषों की तुलना में अलग तरीके से अनुभव करती हैं, चाहे वे स्वयं पलायन कर रही हों या असुरक्षित ग्रामीण इलाकों में रह रही हों। उनकी आने-जाने की स्वतंत्रता सामाजिक मानदंडों, देखभाल की जिम्मेदारियों, संसाधनों तक सीमित पहुँच और शोषण के लगातार बढ़ते जोखिम से प्रभावित होती है। ऐसा विशेष रूप से असंगठित श्रम बाजारों और शहरी क्षेत्रों में होता है। ये लैंगिक असमानताएँ न केवल मौजूदा सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को बदतर बनाती हैं, बल्कि जलवायु-संबंधी समस्याओं से निपटने की महिलाओं की क्षमता को भी कमज़ोर करती हैं।

2020 में भारत के लगभग 3.86 मिलियन लोगों को मौसम में तीव्र और अप्रत्याशित बदलाव के कारण पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

यह नीतिगत सारांश भारत में जलवायु से उत्पन्न होने वाले पलायन पर चर्चा और नीति निर्माण में जेंडर पहलू को शामिल करने के महत्व पर जोर देता है। शैक्षणिक शोध, क्षेत्र अध्ययन और नीतिगत ढाँचों की समीक्षा के आधार पर यह इस बात की जांच करता है कि जलवायु परिवर्तन महिलाओं के पलायन के पैटर्न, उनकी कार्य करने की क्षमता और उनके स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित करता है। सारांश में यह बताया गया है कि जलवायु से उत्पन्न होने वाले पलायन संबंधी नीतियों और चर्चाओं में जेंडर पहलू को शामिल करना बहुत जरूरी है। इसमें महिला और पुरुषों की जरूरत के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां और जेंडर आधारित अलग-अलग डेटा बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ताकि महिलाओं को जलवायु के अनुसार ढलने और पलायन दोनों में उनकी भूमिका को पहचाना जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए लक्षित नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है कि जलवायु से होने वाले पलायन से निपटने के लिए उठाए गए कदम, विशेष रूप से भारत में सबसे कमज़ोर महिलाओं के लिए निष्पक्ष, समावेशी और स्थायी हों।

भारत में लगभग 45 मिलियन लोग 2050 तक पलायन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

1 https://researchinginternaldisplacement.org/short_pieces/disaster-induced-internal-displacement-in-india-in-2020-a-review/?utm_source

2 https://www.dw.com/en/cop29-will-india-finally-address-climate-migration/a-70736648

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले पलायन का अर्थ है जब लोगों को बाढ़, सूखा, समुद्र के बढ़ते जल स्तर या बारिश के पैटर्न में बदलाव जैसी जलवायु समस्याओं के कारण अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ता है।[3] आईओएम जलवायु के कारण पलायन करने वाले लोगों को ऐसे "व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के रूप में परिभाषित करता है, जो मुख्य रूप से पर्यावरण में अचानक या निरंतर बदलाव के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से अपना घर छोड़कर अपने देश के ही भीतर किसी अन्यत्र स्थान पर या विदेश चले जाते हैं क्योंकि इससे उनका जीवन या रहने की स्थितियां कठिन बन जाती हैं।" (आईओएम, 2007:33)[4]।

अपनी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट (एआर6) के दूसरे कार्य समूह में, आईपीसीसी ने कहा है कि "जलवायु खतरे का एक बड़ा कारण बन रहे हैं जिसके कारण लोग अपना घर छोड़ने या स्थानांतरित होने के लिए मजबूर हो रहे हैं"। इसमें आगे कहा गया है कि "जलवायु के कारण होने वाला पलायन अक्सर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ग्रामीण इलाकों से शुरु होता है, जहाँ आमतौर पर, ये लोग अपने ही देश के भीतर अन्य ग्रामीण स्थानों या शहरों में चले जाते हैं।"

भारत में, मौसम की विनाशकारी घटनाओं और जलवायु में परिवर्तन से लोगों के जीवनयापन के पारंपरिक तरीके प्रभावित हो रहे हैं, खास तौर पर उन क्षेत्रों में जो कृषि पर निर्भर हैं। इसके कारण बहुत से लोग देश के भीतर ही पलायन कर रहे हैं। संकट से बचने के लिए इस तरह का पलायन अब लोगों, विशेषकर सुंदरबन, ओडिशा, बुंदेलखंड, असम और बिहार जैसे क्षेत्रों में पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचने का एक आम तरीका बन गया है।

हालाँकि, पलायन का प्रभाव पुरुषों और महिलाओं पर एक जैसा नहीं पड़ता है।

अक्सर, पुरुष मजदूरी के लिए काम करने के लिए शहरों में चले जाते हैं, जबकि महिलाएं उन क्षेत्रों में घरों की देखभाल करने के लिए पीछे रह जाती हैं जहां पर्यावरण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कभी-कभी, महिलाओं को पैसे की समस्या या खराब कृषि स्थितियों के कारण भी पलायन करना पड़ता है। वहां वे अक्सर ऐसी नौकरियों में फंस जाती हैं जो सुरक्षित नहीं होतीं और जहाँ उनका शोषण होता है। ये मुश्किलें महिलाओं के लिए और बढ़ जाती हैं जब वे नीची जाति, गरीब परिवार या कम उम्र की होती हैं। इससे उन्हें मदद और फैसले लेने के मौके कम मिलते हैं। इन सच्चाइयों के बावजूद, देश और दुनिया की नीतियों में पलायन से जुड़े महिलाओं और पुरुषों के अलग-अलग अनुभवों पर ध्यान नहीं दिया जाता।

पारंपरिक ढाँचे अक्सर इस बात को नज़रअंदाज़ कर देते हैं कि कैसे सामाजिक और जेंडर मानदंड, पैसे पर निर्भरता और महिलाओं की घूमने-फिरने की पाबंदियों को जलवायु जोखिमों का प्रभावी ढंग से सामना करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा, अपने परिवारों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में महिलाओं की भूमिका - चाहे वे पलायन करें या पीछे रहें - आमतौर पर योजना का हिस्सा नहीं होती हैं। जेंडर और जलवायु के कारण होने वाले पलायन के बीच के संबंध को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी को शामिल करते हुए अच्छे समाधान और बचाव की योजना बनाई जा सके।

इस नीति के सारांश का उद्देश्य जलवायु के कारण होने वाले पलायन में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को उजागर करना, इसका समाधान करना तथा ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना है जो समानता और मजबूती पर ध्यान देती हों।

---

3 संबंधी समस्याओं के कारण लोग दो तरह से पलायन करते हैं। पहला, बाढ़ या चक्रवात जैसी आपदा के बाद लोग जल्दी से पलायन कर जाते हैं। दूसरा, जब समुद्र का जलस्तर बढ़ने या सूखे जैसी वजहों से जीविका कमाना मुश्किल हो जाता है, तो लोग धीरे-धीरे पलायन करते हैं, इसलिए वे स्थायी नौकरियों के लिए दूसरी जगहों में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

4 https://environmentalmigration.iom.int/पर्यावरण-प्रवास

जलवायु के कारण होने वाले पलायन का पुरुष और महिलाओं पर पड़ने वाला प्रभाव

पुरुष और महिलाएं जलवायु जोखिमों और पलायन का अनुभव अलग-अलग तरीकों से करते हैं, जो अक्सर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों से प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से महिलाएं पर्यावरणीय क्षरण और उसके परिणामस्वरूप होने वाले पलायन की परिस्थितियों का सामना करते हुए असमान रूप से अधिक प्रभाव झेलती हैं।[5]

पुरुष आमतौर पर नौकरी की तलाश में अपनी इच्छा से पलायन करते हैं, जबकि महिलाएं अक्सर समस्याओं, मजबूरी में घर छोड़ने या अपने परिवार के साथ रहने के कारण पलायन करती हैं। आईपीसीसी (छठी मूल्यांकन रिपोर्ट) कहती है कि महिलाएं अक्सर पलायन करने के लिए अधिक समय तक प्रतीक्षा करती हैं क्योंकि उन्हें सांस्कृतिक नियमों, शिक्षा की कमी और घर-परिवार की जिम्मेदारियों जैसे अधिक सामाजिक जोखिमों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है।[6] साथ ही, महिलाओं को अक्सर स्थानीय निर्णय लेने और समुदाय की बैठकों से बाहर रखा जाता है, जिससे उन्हें पलायन, संसाधनों के बंटवारे और जलवायु बदलाव से निपटने का अवसर कम मिलता है।

कई ग्रामीण इलाकों में, बाढ़, सूखा या खारी मिट्टी जैसी प्रतिकूल जलवायु घटनाएँ खेती को बर्बाद कर देती हैं, इसलिए पुरुष काम के लिए शहरों में चले जाते हैं। दूसरी ओर, महिलाएँ कठिन परिस्थितियों में घर की देखभाल करने के लिए अक्सर घर पर ही रहती हैं। उन्हें खेती का काम, परिवार की देखभाल और घर का प्रबंधन करना पड़ता है, तब भी जब पर्यावरण[7] और अर्थव्यवस्था खराब हो रही हो। "घर पर बढ़ती जिम्मेदारियों" के बावजूद महिलाओं को जमीन के अधिकार, कर्ज, शिक्षा, काम या खेती से जुड़ी मदद बहुत कम मिलती है, जिससे महिलाएं ज्यादा बोझ और परेशानियों में रहती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जब पानी और ईंधन जैसे संसाधन कम हो जाते हैं, तो महिलाओं को इन्हें लाने और खाना बनाने में ज्यादा समय लगाना पड़ता है। इससे उनके पास पैसे कमाने वाले काम करने का समय बहुत कम बचता है।

ये समस्याएँ सामाजिक नियमों के कारण और भी बदतर हो जाती हैं जो महिलाओं की घूमने-फिरने, निर्णय लेने या जलवायु खतरों के बारे में मदद, सूचना और चेतावनियों जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों तक पहुँचने की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। इससे उनके लिए जलवायु समस्याओं को जल्दी और अपने दम पर संभालना मुश्किल हो जाता है। जाति, नस्ल, आयु, दिव्यांगता और वे शादीशुदा हैं या नहीं जैसे अन्य मुद्दे भी उनकी मुश्किलों को बढ़ाते हैं। ये चीजें न केवल उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने से रोकती हैं बल्कि उनके लिए अपने अधिकारों और समर्थन के लिए लड़ना भी मुश्किल बनाती हैं। इसके अलावा, कई युवा लड़कियों को घर या खेतों में मदद करने के लिए स्कूल जाना बंद करना पड़ता है, जो उनके भविष्य की पढ़ाई और नौकरी के अवसरों को प्रभावित करता है।[8] जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले पलायन से युवा लड़कियों के बाल विवाह का जोखिम भी बढ़ जाता है। गरीब परिवार कभी-कभी पैसे की समस्याओं से निपटने या परिवार की इज्जत की रक्षा के लिए बेटियों की शादी जल्दी कर देते हैं।[9]

जब महिलाएं रहने के लिए सुरक्षित और स्वस्थ स्थानों की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर होती हैं, तो उन्हें अनोखे और बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इन जोखिमों में दुर्व्यवहार, भेदभाव, लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) और यहां तक कि तस्करी भी शामिल होती है। किशोर लड़कियों को विशेष रूप से तस्करी का खतरा होता है। पलायन करने वाली अनेक महिलाएं या तो अपने मूल स्थान पर लौटने को मजबूर हो जाती हैं या बिना सुरक्षा के फंस जाती हैं, तथा उन्हें स्वच्छता, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, तथा मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसी आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने में भी अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। रुढ़ीवादी सामाजिक मानदंड अक्सर महिलाओं को स्वतंत्र रूप से पलायन करने से रोकते हैं, जिससे वे शहरी, गैर-कृषि क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के मौके खो देती हैं। कुछ मामलों में, महिलाएं इन प्रतिबंधों से बचने के लिए विवाह कर दूसरी जगह जाने का विकल्प चुन सकती हैं, लेकिन फिर भी इससे वे शोषणर बुरे व्यवहार का शिकार हो सकती हैं।[10]

---

5 https://environmentalmigration.iom.int/gender-migration-environment-and-climate-change

6 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-7/

7 जब पुरुष पलायन करते हैं, तो पीछे रह जाने वाली महिलाएं और लड़कियां अक्सर घर और समुदाय में ज़्यादा बिना पैसे वाला काम करती हैं। आपदा के बाद, यह काम और भी बढ़ जाता है। उन्हें घायल परिवार के सदस्यों की देखभाल करनी होती है, मुश्किल समय में भावनात्मक सहारा देना होता है और जब सामान्य सेवाएँ काम नहीं कर रही होती हैं, तो घर का प्रबंधन करना होता है।

8 https://feminisminindia.com/2023/06/02/women-climate-change-gendered-vulnerabilities/?utm_source

9 https://esaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/child_marriage_and_environmental_crises_an_evidence_brief_final.pdf

10 https://www.econstor.eu/bitstream/10419/225327/1/GLO-DP-0692.pdf?utm_source

जब महिलाएँ (अक्सर समस्याओं या ज़रूरतों के कारण) अकेले या अपने परिवार के साथ पलायन करती हैं, तो उन्हें कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इनमें अक्सर अनौपचारिक और शोषणकारी रोजगार, बुनियादी सेवाएँ न मिलना, असुरक्षित आवास और लिंग आधारित हिंसा का सामना करना शामिल है। पलायन करने वाली कई महिलाएँ अनियमित और अनौपचारिक क्षेत्रों जैसे घरेलू काम, ईंट भट्टों, निर्माण और खेतों में काम करती हैं, जहाँ उनकी सुरक्षा के लिए कोई मज़बूत कानून नहीं हैं और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा होती है। इन क्षेत्रों में स्थितियाँ शोषणकारी होती हैं, जिनमें वेतन चोरी, यौन उत्पीड़न, शोषण और मातृत्व सुरक्षा का अभाव शामिल है (अग्रवाल, 2020)। ये चुनौतियाँ देश भर के शहरों में अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले निम्न-आय वाले परिवारों की पलायन न करने वाली महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों के ही समान हैं। इसके अतिरिक्त, जातिगत पहचान भी पलायन और नौकरी के मौके को प्रभावित करती है। जो महिलाएं समाज के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आती हैं, उन्हें अक्सर समाज में फैली भेदभावपूर्ण सोच के कारण खतरनाक और कठिन काम करने पड़ते हैं। इस वजह से उन्हें ज्यादातर कचरा बीनने और शारीरिक श्रम जैसे काम करने पड़ते हैं (गुरु, 2019; कपाड़िया, 2021)।

पलायन करने वाली महिलाओं को कानूनी और व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें सहायता मांगने या अपने अधिकारों के लिए खड़े होने में मुश्किल होती है। उन्हें अक्सर पहचान पत्र, राशन कार्ड या स्वास्थ्य सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, खासकर जब वे बड़े शहरों में जाती हैं। इसके अलावा, सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ उन्हें अकेलापन और अपने समुदायों से कटा हुआ महसूस कराती हैं, जिससे उन्हें सहायता मिलना मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर, कम आय वाले गरीब परिवारों की पलायन होने या पलायन न होने वाली दोनों महिलाओं को अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनने से रोकता है और उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। ये समस्याएँ और भी बदतर हो जाती हैं क्योंकि वे पहले से ही असुरक्षित और अस्थिर नौकरियां करती हैं।

जलवायु परिवर्तन के जोखिम वाले क्षेत्रों से पलायन करने वाले लोगों के पास अक्सर स्थिर आवास नहीं होता है और उन्हें जो भी आश्रय मिल जाता है, उसी से काम चलाना पड़ता है। कई लोग व्यस्त फ्लाईओवर के नीचे शरण लेते हैं, लगातार विस्थापित होने और कठोर परिस्थितियों के संपर्क में आने के जोखिम का सामना करते हैं। वे यातायात के शोर और अराजकता के बीच अस्थायी रहने की जगह बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। जब वे काम की तलाश करते हैं, तो उनका जीवन एक अपरिचित और अक्सर अप्रिय वातावरण में अस्थिरता से भरा होता है। शहरी क्षेत्र भी गंभीर जलवायु प्रभावों का सामना कर रहे हैं जो प्रवासियों के लिए जीवन को और भी कठिन बना देते हैं।

इसके अतिरिक्त, शहरों में आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में गर्मी काफी अधिक बढ़ जाती है। यह पलायन होकर आए लोगों, विशेषकर कमजोर समूहों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है, जिनके पास खुद को ठंडा रखने के लिए पर्याप्त साधन या स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होतीं हैं। जलवायु से जुड़ी ये समस्याएं न केवल उनका रोज़मर्रा का जीवन कठिन बनाती हैं, बल्कि उनके लिए स्थिर नौकरी पाना और सामाजिक संबंध बनाना भी मुश्किल कर देती हैं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसके अलावा, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुविधाओं की भी कमी होती है, जिससे वे पहले से ही दबाव में चल रहे शहरों में और भी हाशिए पर चले जाते हैं।

रिश्तेदारी आधारित पलायन नेटवर्क, जो प्रवासी महिलाओं को नौकरी खोजने में मदद करते हैं, अक्सर उन्हें एक ही तरह के काम में फंसाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, असम के चाय बागानों की महिलाएँ अक्सर सामुदायिक संबंधों के कारण घरेलू काम के लिए बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में जाती हैं, लेकिन वे कम वेतन वाली देखभाल करने वाली नौकरियों में फंस जाती हैं और उनके बेहतर काम प्राप्त करने की बहुत कम संभावना होती है (मिश्रा 2022)।

इसके अलावा, चाहे महिलाएं पलायन करें या घर पर ही रहें, उन्हें अक्सर पलायन के फैसलों में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता और उन्हें समुदाय की योजना और संसाधन बाँटने की प्रक्रियाओं में भी शामिल नहीं किया जाता है। बिना पैसे वाले देखभाल का बोझ, जो पहले से ही पलायन होने वाली महिलाओं सहित ज्यादातर महिलाओं पर होता है, अब और भी ज्यादा समय लेने लगा है। इससे महिलाओं को शिक्षा, नए कौशल सीखने, पैसा कमाने या मान्यता पाने वाले काम करने, सामुदायिक फैसलों में हिस्सा लेने और टिकाऊ व सुरक्षित आजीविका के तरीके सीखने का समय और भी कम मिल पाता है।

इन बड़ी चुनौतियों के बावजूद, जलवायु बदलाव और पलायन से जुड़े फैसलों में महिलाओं की राय नहीं ली जाती है। ऐसे नियम बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है जिसमें महिलाएं शामिल हों। महिलाओं के पलायन को भी सरकारी रिकॉर्ड में ठीक से दर्ज नहीं जाता या दिखाया नहीं जाता, जिससे उनके खास ज़रूरतें और मुश्किलें, चाहे वे जहाँ से आई हों या जहाँ गई हों, साफ़ नहीं दिखतीं। पलायन के इन अलग-अलग अनुभवों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि निष्पक्ष और सभी के लिए समान नीतियाँ बनाई जा सकें जो पलायन होकर आई और पीछे रह गई महिलाओं, दोनों की वास्तविक स्थिति को दर्शाती हों।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पलायन और श्रम संबंधी नीतिगत ढांचे

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले लोगों के पलायन पर दुनिया भर में अभी भी बहुत गंभीर चर्चा नहीं होती है। ऐसे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस और मजबूत कानून अभी तक नहीं बना है। सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक समझौता[11] में यह स्वीकार किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण लोग पलायन करते हैं; कैनकन अनुकूलन रूपरेखा (2010) जो देशों से जलवायु परिवर्तन से पलायन करने वाले लोगों की मदद करने का आह्वान करती है; और नानसेन पहल आपदा- पलायन करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है। यूएन-आईओएम (यूएन-अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन) और यूएनएचसीआर (शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त) जैसे संगठन आंतरिक प्रवास सहित सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर काम करते हैं ।

भारत में, जबकि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ (एनएपीसीसी) और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ (एसएपीसीसी) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को तो स्वीकार करती हैं, लेकिन वे जलवायु से संबंधित पलायन को एक अलग मुद्दे के रूप में नहीं देखती हैं। उदाहरण के लिए, केरल का एसएपीसीसी, पलायन और उसके आर्थिक प्रभावों का उल्लेख तो करता है, लेकिन इसे जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजना या मुख्य विषय के रूप में स्वीकार नहीं करता है। इसी तरह, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) इस बात से सहमत है कि जलवायु परिवर्तन के कारण लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन इसने प्रभावित लोगों के लिए कोई व्यापक वित्तीय सहायता प्रणाली नहीं बनाई है।

इस नीति के अभाव में जलवायु के कारण विशेषकर पलायन करने वाले कमजोर लोगों को अपने नए जीवन के अनुसार ढलने या अपने घर लौटने के लिए जरूरी मदद और संसाधन नहीं मिल पाते हैं। 2022 में, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने प्रभावित आबादी का समर्थन करने के लिए एक समर्पित जलवायु पलायन निधि के साथ-साथ एक ठोस नीतिगत ढांचा बनाने के लिए जलवायु-जनित पलायन (संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक[12] पेश करके इस समस्या पर प्रकाश डाला था। दुर्भाग्य से, इसकी प्रासंगिकता के बावजूद, विधेयक पारित नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि भारत अभी भी जलवायु परिवर्तन से होने वाले पलायन से जुड़ी जटिल समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है।

केंद्र सरकार ने पलायन करने वाले श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों की मदद के लिए कई नीतियां और योजनाएं बनाई हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना शामिल हैं। ई-श्रम पोर्टल ने प्रवासियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ दिलाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 30 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिकों[13] के साथ एक राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाया है। साथ ही, वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना प्रवासियों को पूरे भारत में किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देती है। सस्ते किराए वाली आवास परिसर (एआरएचसी) योजना शहरों में प्रवासियों और गरीब लोगों को सस्ते आवास देती है। फिर भी, महिला प्रवासियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें दस्तावेज़ न होना, राज्यों के बीच आवागमन के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ न उठा पाना और पर्याप्त बाल सुविधाएं न होना शामिल हैं।[14]

संक्षेप में, जलवायु के कारण होने वाले पलायन पर अभी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ महिलाओं की खास समस्याओं और परेशानियों को ठीक से नहीं समझती हैं। परिणामस्वरूप, नीतिगत चर्चाओं में इन समस्याओं को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, जिससे महिलाओं के लिए ज़रूरी सहायता और सुरक्षा पाना मुश्किल हो जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पलायन एवं श्रम नीतियाँ जलवायु परिवर्तन योजनाओं से जुड़ी नहीं हैं, जिनमें महिला प्रवासियों या जलवायु प्रभावित इलाकों में रह रही महिलाओं की समस्याओं पर ठीक से विचार नहीं किया गया है।

11 https://www.ohchr.org/en/migration/global-compact-safe-orderly-and-regular-migration-gcm

12 https://www.dw.com/en/cop29-will-india-finally-address-climate-migration/a-70736648#:~:text=In%202022%2C%20for%20the%20first,as%20a%20private%20member's%20bill .

13 https://eshram.gov.in//डैशबोर्ड

14 देसाई एवं अन्य (2023) द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि अनौपचारिक रोजगार में 60 प्रतिशत से अधिक प्रवासी महिला श्रमिकों को मातृत्व अवकाश और आवास सहायता जैसे उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा लाभों की कोई जानकारी नहीं थी।

जलवायु-जनित पलायन पर डेटा का अभाव

भारत सरकार के पास जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों के पलायन पर नज़र रखने के लिए कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं है। जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा सर्वेक्षणों के ज़रिए पलायन के आँकड़े एकत्र किए जाते हैं, लेकिन ये जलवायु कारणों से होने वाले पलायन को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाते हैं।[15] इस डेटा की कमी के कारण भारत में जलवायु समस्याओं के कारण लोगों के पलायन के मुद्दे को पूरी तरह से समझना या उससे निपटना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि सामाजिक मानदंडों के कारण, महिलाएँ अक्सर पलायन नहीं कर पाती हैं, या जब वे पलायन करती हैं, तो उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों में जाना पड़ता है, इसलिए उनके अनुभवों को दर्ज करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उनका पलायन अक्सर थोड़े समय के लिए, बार-बार या देश के अंदर होता है, जिससे उन्हें सही से पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह कठिनाई विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए ज्यादा होती है जो पलायन तो करती हैं, लेकिन घरेलू काम या देखभाल के काम में लगी रहती हैं। इससे जलवायु परिवर्तन की वजह से महिलाओं के पलायन का सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

इसके अलावा, जिन लोगों की पहचान कई तरह की होती है — जैसे स्वदेशी समुदायों की महिलाएँ, एलजीबीटीक्यूआईए+ व्यक्ति, दिव्यांग महिलाएँ और बुजुर्ग महिलाएँ — उन्हें खास तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें मुख्यधारा के शोध में शायद ही कभी शामिल किया जाता है। पलायन के बारे में डेटा एकत्र करना भी कठिन होता है जिसमें लिंग आधारित हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल होते हैं, जो स्थिति को और भी जटिल बना देते हैं। इस तरह के डेटा के बिना, सही नीतियाँ बनाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ सही लोगों तक पहुँचाना, और अलग-अलग जेंडर समूहों पर जलवायु परिवर्तन के असर को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा नीतियाँ जाति, वर्ग, आयु और दिव्यांगता जैसे कई कारणों से महिलाओं को होने वाली कठिनाइयों को ठीक से नहीं समझतीं और न ही उनका समाधान करती हैं। इन नीति और डेटा की कमी को दूर करना जरूरी है ताकि ऐसे समाधान किए जा सकें जो महिलाओं को पलायन और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मजबूत भूमिका निभाने में मदद करें।

15 https://www.cdpp.co.in/articles/gender-migration-and-integration-policy-opportunities-for-northeastern-women-in-mainland-india?utm_source

जलवायु-जनित पलायन के महिला और पुरुषों पर पड़ने वाले प्रभावों के उदाहरण

पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में बार-बार आने वाले चक्रवातों, समुद्र के बढ़ते स्तर और खारे पानी ने खेती और मछली पकड़ने को बुरी तरह प्रभावित किया है, जो कई परिवारों की पारंपरिक आजीविका है।[16] इस वजह से, कई पुरुष निर्माण और अन्य अनौपचारिक नौकरियों में काम करने के लिए पास के शहरों और कस्बों में चले जाते हैं, और महिलाओं को कठिन और असुरक्षित परिस्थितियों में अपने घरों की देखभाल करने के लिए पीछे छोड़ देते हैं। ये महिलाएं जलवायु संकट और सामाजिक अकेलेपन के दोहरे बोझ का सामना करती हैं। उनकी सार्वजनिक सेवाओं और सरकारी मदद तक पहुँच भी बहुत कम होती है।

एक्शन एड के अध्ययन इनविजिबल वूमेन: ए जेंडर एनालिसिस ऑफ क्लाइमेट-इंड्यूस्ड माइग्रेशन इन साउथ एशिया के अनुसार, इस क्षेत्र की कई महिलाएं, खासकर विधवाएं और अपने घर का नेतृत्व करने वाली महिलाएं, दस्तावेज न होने और गांव के स्तर पर पुरुष-प्रधान ग्रामीण व्यवस्था के कारण सरकारी राहत एवं पुनर्वास योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकी थीं।[17] जो महिलाएं शहरी क्षेत्रों में पलायन करती हैं, वे अक्सर घरेलू काम जैसी असुरक्षित, कम वेतन वाली नौकरियों तक सीमित रह जाती हैं, जहां उन्हें शोषण, सामाजिक सुरक्षा की कमी और खराब स्वास्थ्य सेवा का सामना करना पड़ता है।

इसी प्रकार, पश्चिमी ओडिशा तथा बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में लंबे समय से जारी सूखे और मिट्टी की उत्पादकता में गिरावट के कारण आदिवासी और दलित समुदायों को काम की तलाश में अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है।

अकेले 2023 में, 17.5 लाख से अधिक लोग ओडिशा से बाहर चले गए, इसमें जमीन न होने और कमाई के साधन खत्म होने से महिलाओं पर ज्यादा असर पडा है।[18] ओडिशा सरकार ने जलवायु प्रवासियों की मदद के लिए बागपतिया में मॉडल कॉलोनी जैसी पुनर्वास परियोजनाएँ शुरु की हैं। फिर भी, अधूरे घर और जरूरी सेवाओं की कमी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं, जो महिलाओं को ज्यादा मुश्किल में डालती हैं।[19]

भारत के महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की स्थिति और भी खराब हो रही है, फसलें नष्ट हो रही हैं और महिलाओं को गन्ना उद्योग में काम करने के लिए पलायन करना पड़ रहा है। गन्ना उद्योग अक्सर पलायन होकर आने वाले इन दंपतियों को अनौपचारिक अनुबंध के माध्यम से रोजगार देता है, जिसमें महिलाएँ गन्ने के बंडलों को बाँधने और ढेर लगाने जैसे शारीरिक रूप से कठिन काम करती हैं। अनौपचारिक अनुबंध में यदि कोई महिला किसी दिन काम नहीं करती तो पैसे काट लिए जाते हैं, जिससे वेतन खोने का डर रहता है। इस वजह से कुछ महिलाओं ने मासिक धर्म के दिनों में छुट्टी लेने से बचने के लिए हिस्टेरेक्टोमी (गर्भाशय हटवाने) का विकल्प चुना है।[20] रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि किशोर लड़कियों को स्कूल से निकालकर शहरों में कपड़ा कारखानों या घरेलू नौकरों के रूप में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ उन्हें तस्करी और शोषण जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कठिनाई और महिलाओं से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम को दर्शाती है, जो कमजोर समुदायों में महिला श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर करती है। यह केस स्टडी इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला पलायन, महिला और पुरुष के आधार पर, न केवल मौजूदा असमानताओं को बढ़ाता है, बल्कि यह केस स्टडी बताती हैं कि जलवायु-जनित पलायन महिला और पुरुष के हिसाब से कैसे पहले से मौजूद असमानताओं को बढ़ाता है और महिलाओं को उनके घर वाले इलाकों और जहां वे जाती हैं, दोनों जगह गंभीर खतरे में डालता है।

16 https://earthjournalism.net/stories/migration-helping-sundarbans-youth-women-adapt-to-climate-uncertainties?utm_source
17 https://actionaid.org/publications/2021/invisible-women-gender-analysis-climate-induced-migration-south-asia?utm_source
18 https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-snapshot-of-distress-migration-in-odisha/article68885703.ece
19 https://www.downtoearth.org.in/climate-change/odisha-s-model-colony-for-climate-refugees-in-kendrapara-should-be-emulated-across-india-89330
20 https://www.iied.org/climate-change-link-hysterectomy-crisis-among-indian-sugar-workers#:~:text=Exploitative%20conditions%20penalise%20workers%20for,the%20'problem'%20of%20menstruation.&text=New%20research%20links%20climate%20change,miss%20work%20and%20lose%20pay

बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य बड़े शहरों की ओर भारी मात्रा में लोगों का पलायन हुआ है। बुंदेलखंड भारत के उन क्षेत्रों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है, यहाँ बार-बार सूखा पड़ता है, अनियमित वर्षा होती है, भूजल की कमी होती है और खेती की स्थिति खराब होती है। इन जलवायु समस्याओं के कारण बहुत से लोग, खासकर पुरुष, अपने गांव छोड़कर पलायन करने लगे हैं, जिससे महिलाओं पर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। जब पुरुष काम की तलाश में शहरों में पलायन करते हैं, तो महिलाओं को भूमि अधिकार, सिंचाई, बीज या कर्ज़ जैसी जरूरी चीज़ों तक कम पहुंच के साथ कृषि, पशुधन और घरेलू कार्यों का प्रबंधन करना पड़ता है। महिलाओं पर बिना पैसे वाले देखभाल और काम का बोझ बढ़ जाता है, लेकिन उन्हें मदद या निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता।

महिलाओं को पानी इकट्ठा करने की ज़रूरत के कारण भी लंबे समय तक काम करना पड़ता है, क्योंकि आस-पास के स्रोत सूख जाते हैं। खासकर महिलाओं के नेतृत्व वाले घरों में पोषण संबंधी असुरक्षा और तनाव से जुड़ी बीमारियों की भी सूचना मिली है।

पुरुषों के न होने पर महिलाओं को, खासकर पारंपरिक और पुरुष-प्रधान समुदायों में सामाजिक कलंक, यौन उत्पीड़न और शोषण का सामना करना पड़ता है। कई महिलाओं को सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सुरक्षा चिंताओं के कारण पलायन करना मुश्किल लगता है [21]। यही मानदंड उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने और रोज़गार के बारे में सामुदायिक निर्णयों में भाग लेने से भी रोकते हैं। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में, भूजल का स्तर बढ़ाने[22] और खेती करने के साथ-साथ पेड़ लगाने जैसे उपायों से खेती को सूखे से बचाने के लिए चलाई गई वाटरशेड योजनाओं के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। वाटरशेड योजनाओं से फसल की पैदावार बढ़ी है, पानी मिलना आसान हुआ है और कृषि व आजीविका के नए अवसर खुले हैं। लेकिन घर और समाज में पुरुष प्रधान की रुढ़ीवादी सोच के कारण महिलाओं को अपनी बात कहने, बाहर आने-जाने और बातचीत करने की स्वतंत्रता कम होती है, जिससे वे इन योजनाओं का पूरा फायदा नहीं उठा पाती हैं।

तटीय क्षेत्रों में भी, हम तेजी से पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक-आर्थिक दबावों को देख रहे हैं, जिससे पलायन का पैटर्न जटिल होता जा रहा है। यह पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करता है जिससे उनकी आजीविका कमाने के तरीके प्रभावित होते हैं। क्रेआ यूनिवर्सिटी में लीड द्वारा किए गए शोध और पुलिकट झील के आसपास कई अन्य अध्ययनों ने इस बदलाव को उजागर किया है।

औद्योगिक परियोजनाओं और प्रदूषण से गाद जमने के कारण 2000 के बाद से मछली की पैदावार में 30-40 प्रतिशत की कमी आई है, जिससे 50,000 से अधिक मछुआरों की प्राथमिक आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित हुई है।[23] इसने युवा पीढ़ी को मछली पकड़ने के पारंपरिक पेशे की बजाय शहरी इलाकों में निर्माण या आतिथ्य-सत्कार जैसे व्यवसायों में नौकरी करने के लिए प्रेरित किया है।[24] बार-बार आने वाले चक्रवातों और लवणता में परिवर्तन के कारण मछली पकड़ने का कार्यक्रम बाधित होता है, जिसके कारण मछुआरों को दैनिक मजदूरी करने के लिए चेन्नई या नेल्लोर जैसे शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चूंकि 70% मछुआरे परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, इसलिए महिलाएँ अक्सर आस-पास की फैक्ट्रियों में खासकर मछली को बचने लायक बनाने और दवा जैसे उद्योगों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में पलायन करती हैं:[25] ऐसा कई तरह के दबावों के कारण होता है जैसे मछली उत्पादों को सुखाने के लिए जगह खोना ("करुवाडु उत्पादन"), नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन लेना, पाडु प्रणालियों में जाति-आधारित प्रतिबंध, जो उन्हें मछली पकड़ने के अधिकार से वंचित करते हैं, पुरुषों में बढ़ती बेरोजगारी और शराब की समस्या, जो सभी महिलाओं पर अधिक आर्थिक जिम्मेदारी डालती हैं।[26]

महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 31.5% है और उनमें गैर-कृषि नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल की कमी है, जिससे उन्हें शहरों में शोषणकारी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।[27] दलित महिलाओं को ऊंची जातियों की महिलाओं की तुलना में आने-जाने में अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें गरीबी से उबरने नहीं देता और उन्हें स्थानीय रुप से पलायन करना पड़ता है। कई महिलाएँ अपने बच्चों की देखभाल करने के साथ-साथ 12 घंटे की फैक्ट्री शिफ्ट में काम करती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है और उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है। पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के कारण एक दुष्चक्र बनता है, जिससे वे शहरों की ओर पलायन करते हैं जहां उन्हें स्थिर नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। परिणामस्वरूप, उनका अपने गांव व समुद्र से पुराना रिश्ता भी टूट जाता है।

21 https://sustain.org/gender-sensitive-response-to-climate-crisis/?utm_source
22 https://www.researchgate.net/publication/339729317_Gender_Transformative_Impacts_from_Watershed_Interventions_Insights_from_a_Mixed-Methods_Study_in_the_Bundelkhand_Region_of_India
23 https://icsf.net/newss/tamil-nadu-pulicat-lake-needs-chilika-like-intervention-to-save-its-biodiversity/
24 https://citizenmatters.in/fishing-community-livelihoods-pulicat-lake-climate-change-environment/
25 https://mcc.edu.in/wp-content/uploads/2021/07/Final.pdf
26 https://mcc.edu.in/wp-content/uploads/2021/07/Madhana-Rekha-UGC-Care-Journal.pdf
27 https://stories.ifmrlead.org/in-the-heart-of-pulicat/

नीतिगत सिफारिशें

भारत को जलवायु परिवर्तन से जुड़े पलायन में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने के लिए ऐसा तरीका अपनाना होगा जो सभी को साथ लेकर चले, मजबूती दे और सभी को उनके हक मिलें।

01

जलवायु नीतियों और कार्य-योजनाओं में जेंडर विश्लेषण ले को शामिल करें

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) और राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) जैसी नीतियों में जेंडर के आधार पर जानकारी को अलग करने वाले डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए, जलवायु कार्यों के बारे में निर्णय लेने में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, महिलाओं का समर्थन करने वाली योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यूएनएफसीसीसी और पेरिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी जेंडर आधारित योजनाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सभी के लिए निष्पक्ष भागीदारी और कौशल निर्माण को प्रोत्साहित करती हैं।

02

जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाएं

जलवायु परिवर्तन, पलायन, बदलते कामकाज के तरीकों और जेंडर, जाति जैसी सामाजिक पहचान के प्रभाव से संबंधित डेटा और विश्लेषण की अभी भी काफी कमी है। इन महिलाओं और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों की समस्याओं को समझने के लिए विस्तृत शोध करना बेहद महत्वपूर्ण है। इससे वास्तविक तथ्यों के आधार पर बेहतर नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी।

03

जलवायु-जनित पलायन और महिलाओं पर इसके प्रभाव को जानने के लिए डेटा संग्रह में सुधार करें

महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों में इस बारे में प्रश्न शामिल होने चाहिए कि क्या लोग जलवायु समस्याओं के कारण पलायन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (2020-21) ने इस तरह के डेटा एकत्र किए लेकिन ऐसा करना अब बंद कर दिया गया है। इसे फिर से शुरू करने से जलवायु-जनित पलायन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। इसी तरह, भविष्य के जनगणना सर्वेक्षण इन चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए जलवायु-संबंधी प्रश्न जोड़ सकते हैं।

04

पलायन करने वाली महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाएं और उसमें सुधार करें

सुनिश्चित करें कि पलायन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा, पेंशन और किफायती आवास जैसे लाभ मिलें, चाहे वे कहीं भी रहें। दस्तावेज़ बनाने की प्रक्रिया आसान करें और गरीब महिलाओं को सही जानकारी देकर उनकी मदद करें। इसके अतिरिक्त, सरकारों को उन महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और आजीविका कार्यक्रम प्रदान करने चाहिए, जो पलायन नहीं कर सकती हैं या जिन्हें पीछे रहना पड़ता है।

05

स्थिर ग्रामीण आजीविका और देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश करें

महिलाओं को ऋण, भूमि स्वामित्व और कृषि सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं दिलाने के लिए विशिष्ट योजनाएँ बनाएं और प्रोत्साहित करें। इसमें ऐसी योजनाएँ शामिल हैं जो महिलाओं के लिए ऋण लेना और कारोबार शुरू करना आसान बनाती हैं, उन्हें नई खेती और जलवायु के अनुकूल कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देती हैं, और महिला किसानों के लिए जमीन पर उनका हक सुरक्षित करती हैं। इसके साथ ही, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और छोटे व्यवसायों को मदद दी जानी चाहिए ताकि उन्हें पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। महिलाओं पर बिना वेतन वाले देखभाल के काम का बोझ कम करने के लिए बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करने संबंधी सुविधाएँ बढ़ाई जानी चाहिए।

06

शासन में महिलाओं की क्षमता और निर्माण

जलवायु के अनुसार आजीविका – योजना एवं कार्यान्वयन में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) और जमीनी स्तर की महिला समूहों को वांछित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर जलवायु से जुड़े फैसले लेने, जल प्रबंधन निकायों, जैव विविधता समितियों और सुरक्षित पलायन की योजना बनाने की प्रक्रियाओं में उनकी सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करें।

07

महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा और कौशल निर्माण में निवेश

महिलाओं और लड़कियों को अच्छी शिक्षा, कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी से संबंधित पाठ्यक्रम और मार्गदर्शन की बेहतर सुविधा प्रदान करें। इससे उन्हें महत्वपूर्ण कौशल सीखने, अच्छी नौकरी पाने, अच्छी कमाई करने और बेहतर भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

संदर्भ

अग्रवाल, बी. (2020). भारत में लिंग आधारित श्रम और अनौपचारिक कार्य की अस्थिरता। इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 55(23), 12-19.

गुरु, जी. (2019). भारत में महिला श्रमिकों का जातिगत और आर्थिक हाशिए पर होना। सामाजिक परिवर्तन, 49(4), 567-589.

भारतीय विश्व मामलों की परिषद (2022)। जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवास: भारत में चुनौतियों और अवसरों की जांच । https://www.icwa.in (प्रवेश: 29 मार्च 2025) पर उपलब्ध।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)। (2022)। भारत में श्रम बाजार के रुझान और महिला-पुरुष के वेतन में अंतर। आईएलओ वर्किंग पेपर सीरीज़।

कपाड़िया, के. (2021). दलित महिलाओं का श्रम प्रवास: पेशे में फँसे रहने पर एक अध्ययन। जर्नल ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, 45(2), 230-254.

यूएनएफसीसीसी (2010)। कैनकन समझौते: संविधान के तहत मिलकर काम करने वाली दीर्घकालिक योजना पर बने अस्थायी समूह के काम का परिणाम। एफसीसीसी/सीपी/2010/7/एड.1, निर्णय 1/सीपी.16

IWWAGE
Institute for What Works to Advance Gender Equality

LEAD LEVERAGING EVIDENCE FOR ACCESS AND DEVELOPMENT
KREA UNIVERSITY

POLICY & DEVELOPMENT ADVISORY GROUP
Facilitating people-centric public policy

पलायन जलवायु परिवर्तन और महिलाएं

Institute for What Works to Advance Gender Equality (IWWAGE)
M-6, 2nd Floor, Hauz Khas, New Delhi – 110 016
Phone: +91-11-49403983
www.iwwage.org

IWWAGEIFMR
@IWWAGEIFMR

Policy and Development Advisory Group (PDAG)
E-934, 2nd Floor, Block E,
Chittaranjan Park, Delhi – 110019
www.pdag.in

@Policy & Development Advisory Group (PDAG)
@pdag_india